unicef
for every child

बाल श्रम में संलिप्त बच्चों और श्रमिक परिवारों हेतु प्रदेश में संचालित प्रमुख योजनायें एवं कार्यक्रम

पुस्तिका

श्रम से शिक्षा तक

जनहित में प्रचारित

'ROSA'

KAWACH
SAFE CHILDHOODS FOR A THRIVING INDIA
सुरक्षित बच्चे, समृद्ध भारत

श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

Toll Free No.: 1800 180 5160

अनुक्रमणिका

क्रमांक	कार्यक्रम/योजना का नाम	पृष्ठ संख्या	संबंधित विभाग
01	बाल श्रमिक विधा योजना	03	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
02	अटल आवासीय विद्यालय	04	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
03	मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना	05	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
04	उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना	06	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
05	उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)	07	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
06	मिशन वात्सल्य योजना एवं चाइल्ड हेल्पलाइन	08	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
07	दत्तकग्रहण योजना	09	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
08	स्पॉन्सरशिप योजना	10	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
09	फॉस्टर केयर योजना	11	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
10	ऑफ्टरकेयर योजना	12	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
11	मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना	13	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
12	कन्या विवाह सहायता योजना	14	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
13	सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना	15	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
14	कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना	16	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
15	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना	17	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
16	निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना	18	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
17	महात्मा गाँधी पेंशन योजना	19	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
18	पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना	20	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
19	आपदा राहत सहायता योजना	21	श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0
20	वन स्टॉप केन्द्र एवं 181 महिला हेल्पलाइन	22	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0
21	निराश्रित महिलाओं हेतु आश्रय सुविधा	23	महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0

श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

labourdepartmentup @uplabourdept www.uplabour.govt.in

बाल श्रमिक विद्या योजना

उद्देश्य : पूर्व बाल श्रमिक बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ते हुए उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना।

पात्रता : 8 से 18 वर्ष आयु के ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक की श्रेणी में चिन्हित हो चुके हैं, और वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान में पंजीकृत हैं एवं नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज कराते हैं। एक परिवार से अधिकतम दो बच्चों को लाभ अनुमन्य है। ◆ ऐसे परिवार जिसमें माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। ◆ ऐसे परिवार जहां माता या पिता अथवा दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हों। ◆ ऐसे परिवार जहां महिला या माता परिवार की मुखिया हो। ◆ ऐसे परिवार जहां माता या पिता अथवा दोनों किसी गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हों। ◆ भूमिहीन परिवार।

योजना के क्रियान्वयन का क्षेत्र: 13 मंडलों के 57 जनपद यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फ़र्रुख़ाबाद, कन्नौज, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, हापुड़, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, सम्भल, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आज़मगढ़, बलिया, मऊ, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र सम्मिलित हैं।

देय लाभ :

- ◆ बालक हेतु धनराशि रू0 1000/- प्रति माह
- ◆ बालिका हेतु धनराशि रू0 1200/- प्रति माह
- ◆ कक्षा 8, 9 व 10 उत्तीर्ण करने पर रू0 6000/- की प्रोत्साहन धनराशि एक मुश्त।

आवश्यक अभिलेख:

◆ आयु प्रमाण पत्र ◆ पूर्व बाल श्रमिक के रूप में पहचान का प्रमाण ◆ विद्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन प्रमाण पत्र ◆ आधार कार्ड ◆ बैंक खाता विवरण (बच्चे या माता-पिता / अभिभावक के नाम)।

आवेदन

आवेदन ऑनलाइन https://bsvy.in/ या स्थानीय श्रम कार्यालय के माध्यम से करें।

अटल आवासीय विद्यालय योजना

उद्देश्य : लाभार्थी बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोडे जाने हेतु उनके बौद्धिक शारीरिक एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु कक्षा 06 से 12 तक की नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना।

पात्रता : ◆ कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र लाभार्थी बच्चे। ◆ पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरान्त कम से कम 03 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, के अधिकतम 02 बच्चे।

हितलाभ : कक्षा 06 से 12 तक की नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा। ◆ इन विद्यालयों में शिक्षा का पाठ्यक्रम सी.बी.एस.ई. बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से नवोदय विद्यालय की भाँति।

मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

उद्देश्य : उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत पात्र लाभार्थियों के नवजात शिशुओं, पंजीकृत महिला कर्मकारों तथा पुरूष कर्मकारों की पत्नियों को प्रसव के उपरान्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाना। साथ ही बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच सृजित करना तथा वयस्क विवाह व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।

पात्रता : ऐसे कर्मकार जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 12 के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो ◆ शिशु एवं मातृत्व हितलाभ योजना का लाभ संबंधित निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों को ◆ बालिका मदद योजना का लाभ परिवार में जन्मी पहली बालिका को ◆ परिवार में जन्मी दूसरी बालिका को उस स्थिति में लाभ जब दोनों संतान बालिका हों ◆ प्रथम एवं द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिका होने पर सभी बालिकाओं को योजना का लाभ ◆ कानूनी रूप से गोद जी बालिका भी पात्र ◆ बालिका के जन्म का पंजीकरण, जन्म-मृत्यु पंजिका पर होना अनिवार्य है।

हितलाभ : पुरूष कामगारों को उनकी पत्नियों के मातृत्व हितलाभ के रूप में रू0 6,000/- (छः हजार मात्र) एकमुश्त। ◆ लाभार्थी महिला कर्मकार को मातृत्व हितलाभ के रूप में उसकी श्रेणी के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से तीन माह के वेतन के समतुल्य धनराशि एकमुश्त। ◆ महिला निर्माण श्रमिक को रू0 1,000/- की धनराशि एकमुश्त चिकित्सा बोनस के रूप में देय। ◆ प्रसव के उपरान्त लड़का होने पर एक बार एकमुश्त रू0 20,000/- तथा लड़की होने पर एक बार एकमुश्त रू0 25,000/- की धनराशि देय। ◆ परिवार में पहली बालिका के जन्म पर 18 वर्ष तक के लिये एकमुश्त रू0 25,000/- का सावधि जमा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं हेतु यह धनराशि रू0 50,000/-।

आवश्यक अभिलेख : पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पहचान पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति ◆ शिशु (बालक/बालिका) के जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति ◆ यथास्थिति प्रसव, गर्भपात तथा नसबंदी का प्रमाण पत्र ◆ गोद ली गई बालिका के प्रमाणित अभिलेख ◆ परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड या समतुल्य अभिलेख, जिसमें निर्माण श्रमिक के परिवार का पूर्ण विवरण हो, की फोटो प्रति ◆ आधार कार्ड एवं श्रमिक के राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते की फोटो प्रति।

आवेदन

आवेदन निकटस्थ श्रम कार्यालय अथवा संबंधित तहसीलदार अथवा खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

उद्देश्य : प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के उनके भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना।

पात्रता : कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनो अथवा किसी एक/वैद्य अभिभावक को खोने वाले उ0प्र0 के निवासी 18 वर्ष तक के बच्चे।

हितलाभ : रू0-4,000/- प्रति माह के साथ-साथ 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक की नि:शुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश, योजना की लाभार्थी बालिकाओं के विवाह योग्य होने पर विवाह हेतु रू0-1,01,000/- की राशि तथा कक्षा-9 या इससे ऊपर अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टेबलेट/लैपटॉप की सुविधा।

आवेदन

ऑफलाइन आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई/
जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में करें।

उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

उद्देश्य : ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना से इतर कारणों से 1 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोया है, को धनराशि समर्थन।

पात्रता : कोरोना से इतर कारणों से 1 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोने वाले उ0प्र0 के निवासी 18 वर्ष तक के बच्चे। साथ ही 0 से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे, जिन्हें बाल श्रम/बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृति/वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे तथा 0 से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे, जिन्हें बाल गृहों/संप्रेक्षण गृहों से परिवार में पहुँचाकर पुनर्वासित किया गया है, 18-23 वर्ष के किशोर-किशोरियों को स्नातक या उससे अधिक अथवा प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हेतु समर्थन।

हितलाभः : रू. 2,500/- प्रति माह।

आय सीमा : वार्षिक आय अधिकतम रू0 3 लाख।

आवेदन

ऑफलाइन आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई/
जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में करें।

मिशन वात्सल्य

उद्देश्य : यह योजना बच्चों से संबंधित प्रमुख कानूनों यथा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (2012), बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

योजना के अंतर्गत मुख्य घटक निम्नवत् हैं:

(क) संस्थागत देखरेख: बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु आधुनिक तकनीक, शिक्षा के बेहतर अवसर, मनोरंजन, चिकित्सा सुविधा, कौशल विकास व रोज़गार से लिंकेज की उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

(ख) गैर संस्थागत देखरेख:

- स्पॉन्सरशिप
- फॉस्टरकेयर
- ऑफ्टरकेयर
- दत्तकग्रहण

1098 चाइल्ड हेल्पलाइन

उद्देश्य : संकटग्रस्त बच्चों हेतु 24x7 की आपातकालीन आउटरीच सेवा, जो उन्हें आपातकालीन देखभाल और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराती है।

सुविधा: 18 वर्ष तक की आयु के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, जो बेघर हैं, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, कानून से संघर्षरत्, एच.आई.वी./ एड्स प्रभावित, दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए, बाल विवाह/ तस्करी/वैश्यावृति/ बाल श्रम में शामिल, बाल भिक्षुक या सड़क पर जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित या उत्पीड़ित या शोषित किये गये, जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में हैं, वह स्वयं या उनके लिये आवश्यकता पड़ने पर कोई भी चाइल्ड हेल्पलाइन से संर्पक कर सकते हैं।

कैसे संपर्क करें

1098 नम्बर पर संपर्क करें,
यह एक राष्ट्रीय टोल फ्री 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है, जो समस्त जनपदों में संचालित है।

दत्तकग्रहण (विधिक रूप से गोद लेना)

उद्देश्य : कानूनी रूप से बच्चों के दत्तकग्रहण (गोद लेने) की कार्यवाही के क्रियान्वयन तथा दत्तकग्रहण की गैर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना।

सुविधाः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को विनियमित किये जाने हेतु केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की स्थापना की गई है, उक्त में अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित किए गए बच्चे शामित हैं।

कैसे संपर्क करें: राज्य स्तर पर दत्तकग्रहण की प्रक्रिया को विनियमित किये जाने हेतु महिला कल्याण निदेशालय लखनऊ में राज्य दत्तकग्रहण संसाधन इकाई (SARA) की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त जनपदों में विशेषीकृत दत्तकग्रहण इकाईयॉं (SAA) संचालित की जा रही हैं।

आवेदन

वेबसाइट – CARING पोर्टल https://cara.wcd.gov.in पर आवेदन करें।

स्पॉन्सरशिप योजना

उद्देश्य : जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरक सहायता।

देय लाभ : पात्र बच्चों को प्रति माह रुपये 4000/- की धनराशि।

अवधि : न्यूनतम 1 वर्ष तथा अधिकतम 18 वर्ष की आयु तक।

पात्रता : ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गई हो, माँ तलाकशुदा या परिवार से परित्यक्त हो। ◆ ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर/जानलेवा रोग से ग्रसित हो। ◆ ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, निराश्रित हैं या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं। ◆ ऐसे बच्चे जो कानून से संघर्षरत् हैं। ◆ ऐसे बच्चे जो बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए हों। ◆ ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार हों। ◆ ऐसे बच्चे जो दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए हों। ◆ ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता या उनमें से एक कारागार में निरुद्ध है। ◆ ऐसे बच्चे जो एच.आई.वी./ एड्स से प्रभावित हों। ◆ ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से देखभाल हेतु असमर्थ हों। ◆ ऐसे बच्चे जिनको सहायता एवं पुर्नवास की आवश्यकता हो। ◆ ऐसे बच्चे जो फुटपाथ पर जीवनयापन करने वाले, प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित हों।

अभिभावक की आय सीमा : ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रुपये 72,000 वार्षिक, शहरी क्षेत्रों में अधिकतम रुपये 96,000 वार्षिक, (माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक के मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की अधिकतम आय सीमा का नियम लागू नहीं)।

आवश्यक अभिलेख : आधार कार्ड, आय प्रमाण-पत्र; आयु प्रमाण-पत्र; अभिभावक का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं शिक्षण संस्थान में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र।

आवेदन

ऑफलाइन आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई/ जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में करें।

फॉस्टर केयर (पालक देखभाल कार्यक्रम)

उद्देश्य : जैविक परिवार न होने पर 18 वर्ष आयु तक किसी बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखते हुये उसे पारिवारिक वातावरण में देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के उद्‌देश्य से वैकल्पिक परिवार में पुर्नवासित करना।

मुख्य बातें: ◆ फॉस्टर केयर में ग्रुप फॉस्टर केयर शामिल है, जिसमें असंबधित बच्चों के एक समूह को ऐसे फॉस्टर परिवार की देखरेख में रखा जायेगा जिनके अपने जैविक बच्चे हो सकते हैं ◆ ग्रुप फॉस्टर केयर में पुर्नवासित बच्चों की संख्या फॉस्टर माता-पिता की जैविक संतानों को मिलाकर 8 से अधिक नहीं होगी।

अवधि: ◆ अल्पावधि अवधि हेतु फॉस्टर केयर का अर्थ अधिक से अधिक एक वर्ष से है। ◆ विस्तारित अवधि हेतु फॉस्टर केयर का तात्पर्य एक वर्ष से अधिक की अवधि से है। ◆ अल्पावधि हो या विस्तारित, यह फॉस्टर माता-पिता के साथ बच्चे के सामन्जस्य के आंकलन पर आधारित होगा। ◆ बाल कल्याण समिति द्वारा फॉस्टर केयर की अवधि को तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

पात्रता : 6-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे जो दो साल से अधिक समय से बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे हैं, और उन्हें गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित नहीं किया गया है। ◆ ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्होंने अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ होने के कारण अपने बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को अनुरोध प्रस्तुत किया है। ◆ देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार, बाल विवाह के शिकार, तस्करी का शिकार बच्चे, एच.आई.वी./एड्स प्रभावित बच्चे, दिव्यांग बच्चे, लापता या घर से भागे हुए बच्चे ◆ बाल वैश्यावृति, बाल भिक्षुक या सड़क पर रहने वाले, प्रताड़ित या उत्पीड़ित या शोषित किये गये बच्चे, जिनके माता-पिता जेल में हैं, जिन्हें सहायता और पुर्नवास की आवश्यकता है ◆ बाल देखरेख संस्थाओं में आवासित हैं या परिवार द्वारा बाल कल्याण समिति के सम्मुख अभ्यर्पित कर दिये गये हों।

फॉस्टर परिवार हेतु अर्हतायें: ◆ फॉस्टर माता-पिता भारतीय नागरिक होने चाहिये। ◆ बच्चे का पालन-पोषण करने के इच्छुक होने चाहिये। ◆ फॉस्टर माता-पिता की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिये और उनका शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिये। ◆ उनकी आमदनी इतनी होनी चाहिये कि वे बच्चे की जरूरतों को पूरा कर सकें। ◆ फॉस्टर परिवार में रह रहे अन्य सभी सदस्य एच0आई0वी0, टी0बी0 और हैपेटाइटिस बी0 इत्यादि रोगों से मुक्त हों। ◆ फॉस्टर परिवार के पास पर्याप्त स्थान और आधारभूत सुविधायें होनी चाहियें।

आर्थिक सर्मथन: फॉस्टर माता-पिता जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम है, को रू0 4,000/- प्रतिमाह की सहायता।

आवेदन

ऑफलाइन आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में करें।

ऑफ्टरकेयर

उद्देश्य : संस्थागत देखभाल में रहने वाले बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद बाल देखरेख संस्था छोड़ने पर उनकी शिक्षा रोजगार योग्य कौशल और प्लेसमेंट, उद्योग शिक्षुता (इन्डस्ट्री अप्रेन्टसशिप), व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण सहायता व समाज की मुख्यधारा में उनके पुनः एकीकरण तथा उन्हें रहने का स्थान प्रदान करना।

पात्रता : संस्थागत देखभाल में आवासित रहते हुये 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 वर्ष या अधिकतम 21 वर्ष आयु तक समर्थन, अपवादात्मक परिस्थितियों में 23 वर्ष आयु तक समर्थन।

देय लाभ :
रू0 4,000/- प्रति माह। रोजगार या रोजगार हेतु क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल समर्थन। सामाजिक परिवेश में प्रवेश से पूर्व आवश्यक दस्तावेज़ बनवाने में सहायता।

आवेदन

ऑफलाइन आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में करें।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

उद्देश्य : प्रदेश में समान लिगांनुपात स्थापित करने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करना।

पात्रता : उत्तर प्रदेश के निवासी, पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रू. 3.00 लाख तथा परिवार में अधिकतम् दो बच्चे हों।

श्रेणी	विवरण	देयलाभ
प्रथम श्रेणी	जन्म के समय	रू0 5,000/-
द्वितीय श्रेणी	एक वर्ष तक टीकाकरण पूर्ण करने पर	रू0 2,000/-
तृतीय श्रेणी	कक्षा-1 में प्रवेश पर	रू0 3,000/-
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा-6 में प्रवेश पर	रू0 3,000/-
पंचम श्रेणी	कक्षा-9 में प्रवेश पर	रू0 5,000/-
षष्टम श्रेणी	10वीं/12वीं उत्तीर्ण कर 2 वर्षीय या अधिक के डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर	रू0 7,000/-

आवश्यक दस्तावेज़ : बच्चे और आवेदक का फोटो, बैंक खाते का विवरण, निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी वार आवश्यक जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का प्रमाण तथा आवेदक का आधार अनिवार्य।

आवेदन

आवेदन वेबसाइट https://mksy.up.gov.in पर करें।

कन्या विवाह सहायता योजना

उद्देश्य : भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के विवाह संस्कार को सुगमता से सम्पन्न कराए जाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा वयस्क विवाह व्यवस्था को प्रोत्साहित कर विधि विपरीत कुरीतियों पर नियंत्रण करना है।

पात्रता : बोर्ड के अद्यतन विधिवत पंजीकृत सदस्य जो कम से कम 01 वर्ष तक बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों। ◆ पंजीकृत निर्माण श्रमिक की वयस्क पुत्री अथवा पंजीकृत वयस्क महिला श्रमिक स्वयं।

हितलाभ : पंजीकृत निर्माण श्रमिक को उसकी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु स्वजातीय विवाह की स्थिति में रू0 55,000/- तथा अन्तर्जातीय प्रकरणों में रू0 61,000/- की सहायता धनराशि ◆ सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में प्रति जोड़ा रू0 65,000/- की सहायता धनराशि तथा रू0 7,000/- (रू0 सात हजार मात्र) प्रति जोड़े की दर से आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान ◆ वर एवं वधु को विवाह की पोषाक क्रय किये जाने हेतु रू0 5,000/- प्रत्येक की दर से धनराशि ◆ पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के वैधानिक विवाह-विच्छेद के उपरांत अथवा पति की मृत्यु होने पर पुनर्विवाह किये जाने पर सामूहिक विवाहों के प्रकरणों में देय धनराशि के समतुल्य सहायता अनुमन्य।

आवश्यक अभिलेख : ◆ प्रश्नगत पुत्री तथा प्रस्तावित वर द्वारा वयस्कता की निर्धारित आयु पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र ◆ संबंधित पुत्री का आधार ◆ स्थानीय ग्राम प्रधान/तहसीलदार / सभासद/ पार्षद द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित विवाह कार्ड ◆ गोद ली गई के संबंधित यथा प्रमाणित अभिलेख ◆ लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर/राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति ◆ वर-वधू का फोटोग्राफ जो श्रमिक द्वारा प्रमाणित हो ◆ पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का स्वघोषण प्रमाण पत्र ◆ किसी समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र ◆ विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष के भीतर जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन।

आवेदन

सामूहिक विवाह की स्थिति में विवाह हेतु आवेदन, निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व स्थानिय श्रम कार्यालय में करें।

सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य : पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति एवं मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करके उन्हें उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना। साथ ही ऐसे बच्चों को कक्षा-9 या उससे ऊपर की कक्षायें उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित होने पर उनके विद्यालय जाने को सुगम बनाने के लिये साईकिल क्रय करने हेतु एकमुश्त धनराशि की सहायता।

पात्रता : बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय निर्माण श्रमिक ◆ पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो ◆ ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो ◆ आधार कार्ड की प्रति ◆ शिक्षारत् बालक/बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत् हों जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ◆ अधिकतम दो सन्तानों को हितलाभ ◆ किसी शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक (MBBS) एवं स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा हेतु उक्त हितलाभ हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा भी शिथिल रहेगी तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।

हितलाभ : कक्षा 1 से कक्षा 05 तक रू0 2,000/- एकमुश्त ◆ कक्षा 06 से कक्षा 10 तक रू0 2,500/- एकमुश्त ◆ कक्षा-11 से 12 तक रू0 3,000/- एकमुश्त ◆ कक्षा-9 या उससे ऊपर साईकिल क्रय किये जाने हेतु सब्सिडी ◆ स्नातक पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष रू0 12,000/- एकमुश्त ◆ ITI/ Polytecnic/ Vocational Course हेतु रू0 12,000/- एकमुश्त ◆ Professional Degree Course (ऐसे कोर्स जिनकी अवधि 02 वर्ष या 02 वर्ष से अधिक हो) में भुगतान किये जाने वाला शुल्क या रू0 60,000/- एकमुश्त जो भी कम हो ◆ स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रू0 24,000/- एकमुश्त ◆ किसी शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक (MBBS) एवं स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा हेतु भुगतान किये जाने वाले शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति ◆ किसी भी विषय में अनुसंधान हेतु उक्त हितलाभ हेतु रू0 1,00,000/- एकमुश्त ◆ भारतीय प्रबन्धन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भुगतान किये जाने वाले शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति ◆ हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा 70 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने तथा अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर बालकों को रू0 5,000/- एवं बालिकाओं को रू0 8,000/- अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त ◆ स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने की स्थिति में प्रोत्साहन के रूप में बालकों को रू0 10,000/- एवं बालिकाओं को रू0 12,000/- अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त।

आवेदन

आवेदन पत्र स्थानीय श्रम या तहसीलदार कार्यालय में जमा करें।

कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

उद्देश्य : पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में कौशल सम्बन्धी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा ऐसे प्रशिक्षण में हुए व्यय तथा मजदूरी के नुकसान की प्रतिपूर्ति करना। साथ ही निर्माण श्रमिकों निर्माण स्थलों पर कार्यरत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कौशल वृद्धि हेतु Recognition of Prior Learning योजना लागू किया जाना।

पात्रता: 18-50 वर्ष के पंजीकृत निर्माण श्रमिक, उनके ऊपर आश्रित अविवाहित पुत्री तथा 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्र।

हितलाभ :

निशुल्क प्रशिक्षण ◆ पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा स्वयं प्रशिक्षण लिये जाने पर संबंधित अवधि की मजदूरी की प्रतिपूर्ति भी बोर्ड द्वारा।

आवेदन

इच्छुक प्रतिभागियों का चयन उनसे विकल्प प्राप्त कर श्रम विभाग अथवा उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा किया जायेगा।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना

उद्देश्य : पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उसे अथवा उसके आश्रित को आर्थिक सहायता।

पात्रता : दुर्घटना/बीमारी के फलस्वरूप दिव्यांगता वाले सभी श्रमिक, जो पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत हैं ◆ पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित ◆ हत्या, सर्पदंश, बिजली गिरने, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु एवं अन्य दैवीय आपदा की स्थिति में हुयी मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानते हुए, तद्नुसार हितलाभ

हितलाभ : पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रू0 05 लाख 05 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में एवं एकमुश्त रू0 25,000 अन्त्येष्टि व्यय ◆ पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु की स्थिति में रू0 02 लाख 02 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में एवं एकमुश्त रू0 25,000 अन्त्येष्टि व्यय ◆ अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रू0 01 लाख एवं अन्त्येष्टि हेतु रू0 25,000/- कुल रू0 1.25 लाख एक मुश्त। ◆ पूर्ण (100 प्रतिशत) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में रू0 04 लाख 04 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में ◆ स्थायी दिव्यांगता 50 से 100 प्रतिशत के मध्य होने पर रू0 03 लाख 03 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में ◆ स्थायी दिव्यांगता 25 से 50 प्रतिशत के मध्य होने पर रू0 02 लाख 02 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में।

आवश्यक अभिलेख :

◆ मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति ◆ आवेदक के आधार लिंक बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति ◆ आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति ◆ यथास्थिति प्राथमिक सूचना रिपोर्ट/पंचनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ◆ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सीय प्रमाण पत्र ◆ किसी समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र ।

आवेदन

निर्माण श्रमिक की दिव्यांगता/मृत्यु की स्थिति में निर्माण श्रमिक/आश्रित द्वारा दिव्यांगता/मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट **upbocw.in** के माध्यम से किया जाना होगा ◆ अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में आवेदन सम्बन्धित जनपदीय कार्यालय द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा ।

निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना

उद्देश्य : पंजीकृत कर्मकार की स्वयं अथवा पारिवारिक सदस्य को गम्भीर बीमारी की स्थिति में सरकारी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

पात्रता : भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना में आच्छादित नहीं हैं। ◆ पंजीकृत कर्मकार तथा यथास्थिति उसकी पत्नी/पति तथा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्रियाँ, 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र तथा माता/पिता।

हितलाभ : शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्तसासी चिकित्सालय अथवा कार्यदायी संस्था SACHIS द्वारा इम्पैनल्ड चिकित्सालय, में इलाज कराये जाने में ऐसी बीमारी पर आयुष्मान भारत योजना में चिकित्सा पर आने वाले व्ययभार के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति। ◆ सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा बीमारी के इलाज हेतु दिये गये आगणन के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सालय को अग्रिम धनराशि का भुगतान।

आवेदन

श्रम/ब्लाक/तहसील कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में आवेदन करें ◆ निर्धारित प्रारूप पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ◆ पहचान प्रमाण पत्र की फोटोकापी ◆ चिकित्सक/अस्पताल द्वारा दवाईयों के क्रय पर हुये व्यय के प्रमाणित मूल बाउचर।

महात्मा गाँधी पेंशन योजना

उद्देश्य : भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत 60 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो लगातार 10 वर्ष बोर्ड के सदस्य रहे हों तथा जिनका वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा हो, को एक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

पात्रता : योजनान्तर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना ◆ वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा होना ◆ 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना ◆ 10 (दस) वर्ष तक लगातार लाभार्थी के रूप में सदस्य बने रहना ◆ किसी समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र (राज्य कर्मचारी बीमा निगम अथवा कर्मचारी भविष्य निधी के अंतर्गत प्राप्त हो रही किसी पेंशन को छोडकर)। ◆ उत्तर प्रदेश में स्थायी निवासी होना।

हितलाभ : रू0 1,000/- प्रतिमाह जीवित रहने तक स्वंय को और मृत्यपरांत लाभार्थी की यथास्थिति पत्नी/पति को। ◆ पेंशन में प्रति दो वर्ष रू0-50/- प्रतिमाह (अधिकतम रू0 1,250/-) की दर से वृद्धि। ◆ पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन प्राप्तकर्ता के पति/पत्नी को रू0 1,000/- की पेंशन अनुमन्य।

आवश्यक अभिलेख : ◆ पहचान पत्र की फोटोप्रति। ◆ स्थायी निवास की प्रमाणित फोटो प्रति। ◆ आधार कार्ड की फोटो प्रति। ◆ एकल लाभार्थी आधारित आधार लिंक्ड बैंक खाते की पास बुक (IFSC Code सहित) की फोटो प्रति। ◆ किसी समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र।

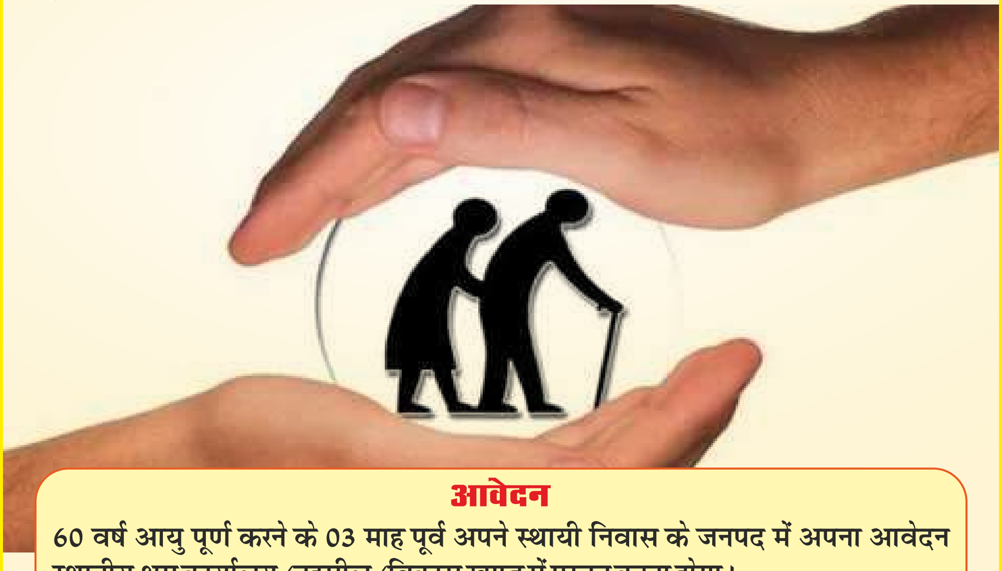

आवेदन

60 वर्ष आयु पूर्ण करने के 03 माह पूर्व अपने स्थायी निवास के जनपद में अपना आवेदन स्थानीय श्रम कार्यालय/तहसील/विकास खण्ड में प्रस्तुत करना होगा।

पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना

उद्देश्य : ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, को मासिक पेंशन सहयोग।

पात्रता : 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो व उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु 2.00 लाख से अधिक न हो।

हितलाभ :

रू0 1000/-प्रतिमाह पेंशन।

आवेदन

आवेदन वेबसाइट - https://sspy-up.gov.in पर करें।

आपदा राहत सहायता योजना

उद्देश्य : आपदा की ऐसी स्थिति जब श्रमिकों की जीविका एवं उनके भरण पोषण का संकट उत्पन्न होने की संभावना है, में दैनिक मजदूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

पात्रता : इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसका अंशदान अद्यतन जमा हो पात्र होंगे।

हितलाभ :

पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 1000/- की धनराशि वार्षिक/ अर्द्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ मासिक।

आवेदन

आवेदन वेबसाइट - https://upbocw.in एवं uplmis.in पर करें।

वन स्टॉप सेन्टर एवं 181 महिला हेल्पलाइन

उद्देश्य: हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

सुविधायें: हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे अल्प प्रवास (पाँच दिवस), चिकित्सकीय सहायता, परामर्शी सेवायें, विधिक सहायता एवं पुलिस सहायता।

वर्तमान स्थिति: प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित।

कैसे संपर्क करें: जिलाधिकारी कार्यालय, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, जिला बाल संरक्षण इकाई, हब फॉर वूमेन इम्पॉवरमेन्ट पर संपर्क किया जा सकता है अथवा 181 महिला हेल्पलाइन या 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

उद्देश्य : महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु आकस्मिक सहायता तथा सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण।

सुविधायें: विषम परिस्थितियों में बचाव सहित अन्य आकस्मिक सहायता तथा परामर्श।

वर्तमान स्थिति: प्रदेश के सभी जनपदों हेतु संचालित।

कैसे संपर्क करें: 181 एक टोल फ्री नम्बर है, जो 24x7 कार्य करता है। कोई भी महिला 181 नम्बर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकती है।

निराश्रित महिलाओं हेतु आश्रय सुविधा

उद्देश्यः निराश्रित, नैतिक संकटग्रस्त, कानून से अच्छादित मानव देह व्यापार से पीड़ित, संरक्षण की आवश्यकता वाली, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा बेघर, घरेलू हिंसा, पारिवारिक कलह एवं वैश्यालयों या अन्य जगहों पर शोषण से पीड़ित महिलाओं तथा बालिकाओं को आश्रय सहित कौशल विकास तथा समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास।

सुविधाः 18 वर्ष से अधिक आयु की संकटग्रस्त महिलाओं हेतु सुविधा।

वर्तमान स्थितिः प्रदेश के 9 महिला शरणालय, 1 संरक्षण गृह, 1 मानसिक मंदित महिलाओं हेतु प्रकोष्ठ तथा विधवा महिलाओं हेतु 1 आश्रय सदन संचालित है। राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह, शक्ति सदन तथा सखी निवास का संचालन प्रक्रियाधीन है।

आवेदन

वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन अथवा
जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

unicef
for every child

KAWACH
SAFE CHILDHOODS FOR A THRIVING INDIA
सुरक्षित बच्चे, समृद्ध भारत

जनहित में प्रचारित

'ROSA' SANSTHAN

Rural Organization for Social Advancement
B.LW., Varanasi

श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय श्रम आयुक्त, जी.टी. रोड, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005

labourdepartmentup @uplabourdept www.uplabour.govt.in

Toll Free No.: 1800 180 5160